न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 43/2022

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. अशोक जांगिड़ पुत्र मूलाराम जाति निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र व्यास एवं कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 16.03.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा, पटवार हल्का खोखरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 236 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.0445 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.1655 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी के हक हकूक खातेदारी की आयी हुई स्थित है। जिसमें से प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 237 रकबा 0.0055 हैक्टर की भूमि गै.मु. रास्ता हेतु सरेण्डर की थी तथा खसरा नंबर 238 में से 0.0485 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता के प्रयोजनार्थ सरेण्डर की थी। उक्त दोनो सरेण्डर पर म्यूटेशन संख्या 1196 एवं 1197 तहसीलदार सोजत द्वारा कायम किया गया तथा सरेण्डर सुदा भूमि के बट्टा नंबर 237/1 एवं 238/4 कायम किये गये। जिसमें से खसरा नंबर 238/4 के उतरी दिशा की तरफ एन.एच. 162 (14) स्थित है। सरेण्डर अनुरूप म्यूटेशन की पुश्त पर नक्शा कायम कर सरेण्डर सुदा भू भाग अंकित किया था। म्यूटेशन संख्या 1196 एवं 1197 की पुश्त पर सरेण्डर किये गये भू भाग को नक्शा बनाकर अंकित किया गया। लेकिन उक्त म्यूटेशन की पालना में राजस्व नक्शा में जो तरमीम की गई वह गलत की गई है। राजस्व अधिकारी के द्वारा जो राजस्व नक्शा में तरमीम की गई है उसमें खसरा नंबर 238/4 को एन.एच. 162 (14) के चिपते दर्ज नहीं कर खसरा नंबर 233 एवं 236 के पास अंकित कर दिया गया है जबकि मौके पर खसरा नंबर 238/4 गै0मु0 रास्ता की भूमि एन.एच. 162 (14) के चिपते है तथा खसरा नंबर 237/1 भी खसरा नंबर 238/4 के चिपते आया हुआ स्थित है। जिसे गलत रूप से खसरा नंबर 237 के पश्चिमी दिशा की तरफ नक्शे में तरमीम कर दिया गया है। मौके पर म्यूटेशन की पुश्त पर अंकित अनुसार भूमि आयी हुई स्थित है। राजस्व नक्शा में त्रुटिवश गलत तरमीम हुई है। जो गलत तरमीम प्रार्थी के हक अधिकारों के विरूद्ध तथा राजस्व नियमों के विपरीत होने से शुन्य एवं अवैध है। इसलिये प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में रेकर्ड

उप खण्ड अधिकारी

दुरूस्त करवा कर उक्त खसरा नंबर 238/4 एवं 237/1 के राजस्व नक्शा को दुरूस्त करवा कर तरमीम की शुद्धि करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी को राजस्व नक्शा में गलत तरमीम की जानकारी दिनांक 16/02/2022 को उक्त राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर हुई जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत को राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्धि हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार सोजत के द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश होने का कहा गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम खोखरा में स्थित होने एवं प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा तरमीम शुद्धि का होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अतः अधिवक्तागण मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 238/4 व 237/1 की राजस्व नक्शा में की गई गलत तरमीम को पुनः शुद्धि कर म्यूटेशन संख्या 1196 एवं 1197 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना अंकित करना अंकित किया है। तहसीलदार सोजत को हस्तगत प्रकरण के परिपेक्ष्य में मौका एवं रेकॉर्ड अनुसार जॉच कर रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/2022/764 दिनांक 14.03.2022 के के जरिये रिपोर्ट पेश की । रिपोर्टानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज ना0सं0 1196 एवं 1197 जो पक्षकार द्वारा रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि समर्पण की गई जिसके अनुसार ख0न0 238 में से 0.0485 है0 समर्पण होने से नया खसरा नम्बर 238/4 राजस्थान सरकार के पक्ष में दर्ज हुआ तथा 237 में से 0.0055 हैक्टर समर्पण से 237/1 राजस्थान सरकार के पक्ष में दर्ज हुआ। इन नामा0 की पुस्त पर समर्पण खसरा भूमि का नजरी नक्शा अंकित किया हुआ है। नजरी नक्शें में दर्ज खसरा नंबर 238/4, 237/1 के अनुसार ही आनलाईन नक्शें में तरमीम की जानी थी परन्तु बिलकुल विपरीत तरमीम कर दी गई। अतः ग्राम खोखरा के उक्त खसरान में गलत तरमीम को पुनः शुद्धि कर म्यूटेशन संख्या 1196 एवं 1197 की पुश्त पर अंकित अनुसार नक्शा तरमीम शुद्ध दर्ज करने की अनुशंषा की है। रिर्पोट के साथ नजरी नक्शा पेश किया है सा0 मि0 है। अधिवक्तागण प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, प्रमाणित वर्तमान जमाबन्दियॉ, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी, ना0सं0 1197, 1196 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्तागण प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 238/4 व 237/1 की राजस्व नक्शा में की गई गलत तरमीम को पुनः शुद्धि कर म्यूटेशन संख्या 1196 एवं 1197 की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार नक्शा तरमीम शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों तथा उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तहसीदार सोजत की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत यथा नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 12.09.2013 नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 13.09.2013 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शें में दर्ज खसरा नंबर 238/4, 237/1 से स्पष्ट होतो है कि उक्त नामान्तरकरण पर की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार ही तरमीम की जानी चाहिए थी परन्तु बिलकुल विपरीत तरमीम कर दी गई। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 238/4 व 237/1 की राजस्व नक्शा में की गई गलत तरमीम को पुनः दुरूस्त रूप से नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 12.09.2013 नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 13.09.2013 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाना उचित समझते है।

–ःआदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 238/4 व 237/1 की राजस्व नक्शा में की गई गलत तरमीम को पुनः दुरूस्त कर म्यूटेशन संख्या 1196 एवं 1197 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.